भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3930

दिनांक 19.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

असम में आर्सेनिक प्रभावित बस्तियां

3930. श्री जयन्त बसुमतारीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) असम में आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों की कुल संख्या और उनमें से 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत शमन उपायों के अंतर्गत कवर की गई बस्तियों की संख्या क्या है;

(ख) क्या आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों पर केंद्र सरकार और असम राज्य सरकार के आंकड़ों के बीच कोई विसंगतियां हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) क्या केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा डिजाइन किया गया कोई आर्सेनिक सुरक्षित कुआं असम में बनाया गया है, यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति

(श्री वी. सोमण्णा)

(क) भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को निर्धारित गुणवत्ता के साथ पर्याप्त मात्रा में तथा नियमित और दीर्घकालिक आधार पर सुरक्षित तथा पीने योग्य नल जल आपूर्ति के लिए प्रावधान करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य के लिए, भारत सरकार ने माह अगस्त 2019 में राज्यों की भागीदारी से कार्यान्वित किए जाने वाले जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरूआत की। जल जीवन मिशन के तहत, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे पानी की गुणवत्ता के लिए मानदंड के रूप में भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस: 10500 मानदंड को अपनाया जाता है। पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन की स्कीमों सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और अनुरक्षण की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत, परिवारों को नल जल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए जल आपूर्ति स्कीमों की योजना बनाते समय रासायनिक संदूषकों से प्रभावित बसावटों को प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का आबंटन करते समय आर्सेनिक सहित रासायनिक संदूषकों से प्रभावित बसावटों में रहने वाली आबादी को 10% भारांक महत्व दिया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं वाले गांवों के लिए वैकल्पिक सुरक्षित जल स्रोतों पर आधारित पाइपगत जल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना और कार्यान्वयन करने की सलाह दी गई है।

चूंकि सुरक्षित जल स्रोत पर आधारित पाइप द्वारा जल आपूर्ति स्कीम की आयोजना, कार्यान्वयन और उसे चालू करने में समय लग सकता है, इसलिए पूर्णत: अंतरिम उपाय के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे प्रत्येक परिवार को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए विशेष रूप से आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बसावटों में सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी) स्थापित करें ताकि प्रत्येक परिवार को उनकी पेयजल और खाना पकाने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। असम राज्य सरकार द्वारा जेजेएम-आईएमआईएस पर सूचित किए गए अनुसार, 01.04.2019 तक, 3,151 आर्सेनिक प्रभावित बसावटें थीं। आज की तारीख तक, राज्य द्वारा सूचित किए अनुसार, असम में कोई आर्सेनिक प्रभावित बसावट नहीं है, अर्थात इन सभी 3,151 आर्सेनिक प्रभावित बसावटों में पाइपगत जल आपूर्ति के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया गया है।

(ख) विभाग ने जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों के आंकडे प्राप्त करने के लिए एक सुदृढ़ वेब आधारित समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली (जेजेएम-आईएमआईएस) विकसित की है, जहां असम राज्य सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र उन बसावटों की स्थिति बताते हैं जिनके पेयजल स्रोतों में संदूषण है।

(ग) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इसने प्रभावित क्षेत्रों के भीतर सुरक्षित वैकल्पिक जलभृतों के दोहन की सिफारिश करते हुए आंतरिक अनुसंधान के माध्यम से सीमेंट की एक नवीन सीमेंट सीलिंग तकनीक विकसित की है। इस तकनीक को आर्सेनिक मुक्त कुओं के निर्माण में सहायता के लिए राज्य एजेंसियों के साथ भी साझा किया गया है, जिससे सुभेद्य क्षेत्रों में आर्सेनिक शमन प्रयासों को बढ़ाया जा सके। अब तक, सीजीडब्ल्यूबी ने सीमेंट सीलिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके असम में किसी आर्सेनिक मुक्त ट्यूबवेल का निर्माण नहीं किया है।

*****